बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक– पि0व0/2/ब0 एवं आ0–17–01/2022– 43 अनु0

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय उप निदेशक,
पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण,
बिहार।

पटना, दिनांक-07/04/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के कार्यालयों के संचालनार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में कुल रू0 70,74,000/– (रूपये सत्तर लाख चौहत्तर हजार) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के कार्यालयों के संचालनार्थ संलग्न विवरणी के अनुसार वेतनादि एवं अन्य मदों में कुल राशि रू० 70,74,000/– (रूपये सत्तर लाख चौहत्तर हजार) मात्र आवंटित की जाती है।

2–कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03– पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 001–निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष 0003–पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण–क्षेत्रीय कार्यालय विषय शीर्ष 0101 वेतन, 0103 जीवन यापन भत्ता, 0104 मकान किराया भत्ता, 0105 परिवहन भत्ता, 0106 चिकित्सा भत्ता, 1101 यात्रा व्यय, 1301 कार्यालय व्यय 1303 दूरभाष, 1304 विद्युत प्रभार तथा विपत्र कोड संख्या–11-2225–03–001–0003 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3–गैर–वेतनादि मद यथा– 1101 यात्रा व्यय, 1301 कार्यालय व्यय 1303 दूरभाष, 1304 विद्युत प्रभार में आवंटित राशि का व्यय केवल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में कृत कार्यो के लिए किया जायेगा।

4–इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित प्रमण्डल के प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण होंगे।

5–आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि के व्यय होने के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

6–प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7–प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

8–इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दिया जा रहा है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

8/4/26

(अनिल कुमार ठाकुर)

सरकार के अपर सचिव।

P.T.O

D/Kundan-2 Budget Section/allotment excel and budget fort /Sanction & Allotment

ज्ञापांक– पि0व0/2/ब0 एवं आ0–17–01/2022–43 पटना, दिनांक– 07/04/2026

प्रतिलिपि–(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/विभागीय बजट शाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को CFMS प्रणाली के अन्तर्गत प्रविष्टि करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7/4/26

सरकार के अपर सचिव।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत प्रमंडलीय उप निदेशक पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के कार्यालयों के संचालनार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में आंवटित राशि की विवरणी।

(राशि रू० में)

क्र0 सं0	प्रमंडल का नाम	0101 वेतन	0103 जीवन यापन भत्ता	0104 मकान किराया भत्ता	0105 परिवहन भत्ता	0106 चिकित्सा भत्ता	योग (3+4+5+6+7)	11 01 यात्रा व्यय	1301 कार्यालय व्यय	1303 दूरभाष	13 04 विद्युत प्रभार	योग (9+10+11+12)	कुल योग (8+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	पटना	1904000	1214000	372000	118000	36000	3644000	10000	50000	6000	20000	86000	3730000
2	मगध	180000	108000	14000	14000	16000	332000	10000	50000	6000	20000	86000	418000
3	सारण	180000	108000	14000	14000	16000	332000	10000	50000	6000	20000	86000	418000
4	तिरहुत	180000	108000	14000	14000	16000	332000	10000	50000	6000	20000	86000	418000
5	दरभंगा	180000	108000	14000	14000	16000	332000	10000	50000	6000	20000	86000	418000
6	कोशी	180000	108000	14000	14000	16000	332000	10000	50000	6000	20000	86000	418000
7	पूर्णियाँ	180000	108000	14000	14000	16000	332000	10000	50000	6000	20000	86000	418000
8	भागलपुर	180000	108000	14000	14000	16000	332000	10000	50000	6000	20000	86000	418000
9	मुंगेर	180000	108000	14000	14000	16000	332000	10000	50000	6000	20000	86000	418000
योग		3344000	2078000	484000	230000	164000	6300000	90000	450000	54000	180000	774000	7074000

कुल राशि (रू० सत्तर लाख चौहतर हजार) मात्र

7/4/26

पत्रांक–43 दिनांक–07/04/2026 का अनुलग्नक

सरकार के अपर सचिव